UNIVERSAL LIBRARY
OU_186715
UNIVERSAL LIBRARY

कपास और तिलहन को बिक्री-कर से मुक्त रखा गया है। यही नहीं बल्कि कृषि सम्बन्धी औजार एवं यंत्रों को बिना शर्त कर मुक्त कर दिया गया है।

इस पुस्तिका के प्रकाशन का उद्देश्य राजस्थान की आम जनता को बिक्री-कर अधिनियम की साधारण जानकारी देना है। मुझे आशा है कि राजस्थान के व्यापारी, उद्योगपति और आम जनता इससे लाभान्वित होंगे।

अमृतलाल यादव,

सिविल लाइन्स, जयपुर
दिनांक १५ जनवरी, १९५६

विषय सूची

		पृष्ठ
१	प्राक्कथन	
२	बिक्री कर-इसका उद्भव एवं विकास	१–३
३	राजस्थान मे बिक्री कर का स्वरूप	३–६
४	व्यापारियो का पंजीयन	६–८
५	पंजीयन कराने की पद्धति	७–९
६	बिक्री कर की दरे	९–१०
७	कर मुक्त वस्तुए	१०–११
८	बिक्री कर से उपभोक्ताओ को राहत	११–१३
९	कर मुक्ति प्रमाण-पत्र	१४–१६
१०	कच्चे व पक्के आढ़तिया	
११	होटलो व अल्पाहार-गृहो के मालिक	१६–१७
१२	सोने चांदी व जवाहारात के व्यापारी	१७–१८
१३	व्यापार का विवरण	१९–२१
१४	कर निर्धारण की प्रक्रिया	२१–२३
१५	अधिक कर वसूली दंडनीय अपराध	२३–२५
१६	बही खाते व हिसाब रखने की विधि	२५–२६
१७	अपीलें	२६–२७
१८	कर योग्य बिक्री व उसकी सीमा	२७–३१
१९	कस्टम चुकाये हुए माल पर छूट	३१–३४

बिक्री कर—इसका उद्भव एवं विकास

वैसे तो बिक्री कर कोई नया कर नहीं है, किसी न किसी रूप मे इसका प्रचलन प्राचीन काल में भी रहा है किन्तु प्रचलित रूप में इसका सर्वप्रथम उद्भव यूरोप में हुआ। प्रथम विश्व-युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली आर्थिक कठिनाइयों के निवारणार्थ विभिन्न देशों में इस कर को लागू किया गया।

प्राचीन भारत भी विक्रय कर से सर्वथा अनभिज्ञ न था। किन्तु किस रूप में यह कर लगता था इस सम्बन्ध में कोई एतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता। भारत में आधुनिक रूप में इस प्रकार का कर लागू करने वाला सर्वप्रथम राज्य ट्रावनकोर था। फिर मद्रास ने भी इसका अनुसरण किया और अपने राजस्व की कमी को पूरी करने के लिए १६३६ में वहां यह कर लागू किया गया। इसके बाद तो भारत के दूसरे राज्यों ने भी इसका लाभ उठाया और आज प्रायः देश के सभी भागों में इसका प्रचलन एक महत्वपूर्ण कर के रूप में है।

देश के राजस्व विधान में बिक्रीकर का कितना महत्वपूर्ण स्थान है यह केवल इसी तथ्य से प्रकट है कि सभी राज्यों के कुल ५०० करोड़ रुपये के राजस्व में से ५७ करोड़ रुपये केवल बिक्री कर से प्राप्त होते हैं। राजस्व की श्रृंखला म भूराजस्व के बाद इसका दूसरा स्थान है। इस प्रकार, कहने की आवश्यकता

नहीं कि आज बिक्रीकर हमारे प्रशासन के राजस्व-प्रासाद का मूल आधारस्तम्भ है ।

भारत के अधिकांश राज्यों में इसका प्रसार एक विशेष परिस्थिति में हुआ । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी यहां के विभिन्न राज्यों में अन्तर्राज्यीय सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) का प्रचलन था जिसके अन्तर्गत किसी राज्य मे वस्तुओं के आयात तथा निर्यात दोनों पर कर वसूल किया जाता था । इस प्रकार वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य मे यातायात पर प्रतिबन्ध तो था ही, स्वतन्त्र भारत के स्वतन्त्र व्यापार व्यवसाय मे भी इससे धक्का पहुंचता था । अतएव संविधान में ५ वर्ष के निर्धारित समय के भीतर शनैः शनैः अन्तर्राज्य कस्टम ड्यूटी (इन्टर स्टेट ट्रान्जिट ड्यूटी) समाप्त करने का निर्देश दिया गया और इससे होने वाली राजस्व-क्षति की पूर्ति के लिए कतिपय अन्य साधनों यथा बिक्रीकर का आश्रय लेने का प्रावधान किया गया । अन्तर्राज्यीय सीमा शुल्क की समाप्ति के लिए अन्तिम तिथि ३१ मार्च, १९५५ निर्धारित की गयी थी ।

निर्धारित अवधि में इस परिवर्तन को कार्यरूप देने के लिए दो ही मार्ग हो सकते थे पहला यह है कि कुछ वस्तुओं को सीमा शुल्क की सूची में से निकाल कर उन पर बिक्री कर वसूल करना और इस प्रकार कुछ चीजों पर कस्टम तथा अन्य कुछ पर बिक्री कर इस प्रकार कुछ समय तक दोनों का साथ साथ वसूल करते रहना, तथा दूसरा विकल्प यह था कि सभी वस्तुओं पर कस्टम व बिक्री कर दोनों लगा देना किन्तु इनकी

मात्रा इस प्रकार तय करना कि दोनों मिलकर पहले वसूल किय जाने वाले कस्टम से अधिक न हो जाए।

पर राजस्थान में कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों के कारण बिक्रीकर बहुत ही देर से लगाया गया और इस कारण उक्त दोनों विकल्प काम मे नहीं लिये गये। पहले पहल हैदराबाद के नमूने का बिक्रीकर यहां लागू करने का विचार किया गया, जो बहुसूत्रीय था। इस आशय का विधेयक राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया गया। और इसे विचारार्थ प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया। प्रवर समिति ने बहुसूत्रीय कर के स्थान पर एक सूत्रीय कर लगाने का अनुग्रह किया। तदनुसार राज्य सरकार ने पहले प्रस्तुत किया हुआ विधेयक वापस ले लिया और मध्य भारत विक्रय कर अधिनियम के अनुरूप एक नया विधेयक विधान सभा के समक्ष प्रथम बिन्दु पर कर लगाने के लिये प्रस्तुत किया। कुछ हेरफेर के साथ यह विधेयक विधान सभा द्वारा अक्टूबर, १९५४ में पारित किया गया। यह अधिनियम १-४-५५ से सम्पूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया है और उसी दिन से अन्तर राज्य सीमा शुल्क (इन्टर स्टेट ट्रान्जिट ड्यूटी) हटा लिया गया है।

राजस्थान में बिक्री कर का स्वरूप

बिक्रीकर के प्रचलित रूप मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक तो बहुसूत्रीय और दूसरा एक सूत्रीय। बहुसूत्री बिक्रीकर के विधान के अन्तर्गत एक ही वस्तु पर कई स्तरों पर, जब तक कि वह उपभोक्ता के पास नहीं पहुंच जाती, कर वसूल कियाजाता है।

उदाहरणतः एक थोक व्यापारी ने यदि राज्य के बाहर से किसी वस्तु का आयात किया है और उसे वह खुदरा व्यापारी को बेचता है तो उसे बिक्रीकर देना होता है। यह खुदरा व्यापारी किसी अपने से छोटे व्यापारी को पुनः वह माल बेचता है तो उसे भी कर देना होता है और इसी प्रकार यह परम्परा चलती रहती है जब तक कि वह वस्तु उपभोक्ता के पास नहीं पहुंच जाती। इस प्रकार उपभोक्ता को वह चीज जितने अधिक व्यापारियों के हाथों से निकलेगी उतनी ही अधिक मंहगी पड़ेगी।

किन्तु राजस्थान में इस प्रकार की प्रणाली को नहीं अपनाया गया। यहां एक सूत्रीय कर का विधान किया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि एक वस्तु पर केवल एक बार ही कर वसूल किया जायेगा। यह एक सूत्रीय कर भी दो प्रकार का होता है, एक प्रथम बिन्दु पर वसूल किया जाने वाला और दूसरा अन्तिम बिन्दु पर वसूल किया जाने वाला। प्रथम बिन्दु से तात्पर्य है आयात करने वाले थोक व्यापारी या प्रमुख उत्पादनकर्ता से ही वह कर वसूल किया जाय और फिर चाहे वह वस्तु कितने ही व्यापारियों के हाथों से गुजरे उस पर कर न लिया जाय। अन्तिम बिन्दु का अर्थ है यदि विक्रयकर अधिनियम के अन्तर्गत एक रजिस्टर्ड व्यापारी किसी दूसरे रजिस्टर्ड व्यापारी को माल बेचता है तो उससे कर न वसूल किया जाय, बल्कि जब वह वस्तु रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा अन्तिम रूप से उपभोक्ता अथवा ऐसे व्यापारी को जो रजिस्टर्ड नहीं है, बेची जाय तब उस पर कर वसूल किया जाय।

राजस्थान में सामान्य व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एवं हिसाब किताब की अनावश्यक पेचीदगीयों से उन्हे बचाने के उद्देश्य से राजस्थान में प्रथम बिन्दु बिक्री कर लगाया गया है अर्थात् केवल कुछ वस्तुओं को छोड़ कर प्रमुख आयातकों और उत्पादकों से ही बिक्रीकर वसूल किया जावेगा। इन आयातकों और उत्पादकों के लिये वार्षिक सीमाएं निर्धारित कर दी गई है। किसी आयात-कर्ता अथवा उत्पादक की वार्षिक बिक्री यदि इन निर्धारित सीमाओं से कम होगी तो उनसे किसी प्रकार का कर नहीं लिया जायगा। आयातकों के लिये ऐसी वार्षिक बिक्री सीमा ५००० रु०, उत्पादकों तथा निर्माताओं के लिये १०००० रु० तथा अन्य व्यापारियों के लिये १२००० रु० प्रति वर्ष रखी गई है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है अधिकांश वस्तुओं पर प्रथम बिन्दु पर ही कर लगाया गया है और केवल कुछ वस्तुएं ऐसी छोड़ी गई है जिन पर उपभोक्ता को बेचते समय कर लगता है।

प्रथम बिन्दु पर कर लगाये जाने से अन्य लाभ के अतिरिक्त एक सुविधा यह भी है कि कर अपेक्षाकृत कुछ कम और मोटे व्यापारियों से ही वसूल किया जाता है जिनके पास हिसाब किताब भलीभांति रखने की सुविधाएं साधारणतया प्रायः उपलब्ध रहती है। इससे छोटे व्यापारियों को जिनकी कि राजस्थान में अधिक संख्या है काफी राहत मिलेगी। दूसरे इससे उपभोक्ता को भी सदा कर का भार प्रतीत नहीं होता अन्यथा वह जब कोई सामान खरीदेगा तभी उसे बिक्रीकर का सामना करना होगा।

इसके अतिरिक्त करदाता बड़े व्यापारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण बिक्रीकर के प्रशासन में भी अधिक सुविधा होगी तथा व्यय भी कम होगा। और इस प्रकार हुई बचत का अन्ततोगत्वा जनकल्याणकारी योजनाओं में उपयोग किया जा सकेगा।

व्यापारियों का पंजियन

व्यापारियों से कर वसूल करने के लिये चाहे वह प्रथम बिन्दु पर एक सूत्रीय कर हो अथवा अन्तिम बिन्दु पर, यह आवश्यक है कि राज्य के ऐसे समस्त व्यापारियों का जो इससे प्रभावित होने वाले हों, पंजियन (रजिस्ट्रेशन) किया जाय इससे जहां बिक्रीकर के प्रशासन में सुविधा होती है वहां व्यापारियों को भी बहुत राहत मिलती है। इसके साथ ही अन्तर्राज्यीय व्यापार की दृष्टि से भी पंजीयन कराना आवश्यक है। उदाहरणतः यदि कोई राजस्थान का पंजीयन शुदा व्यापारी दिल्ली से माल खरीदता है तो उससे वहां बिक्रीकर वसूल नहीं किया जायेगा अन्यथा दिल्ली का व्यापारी उससे बिक्रीकर लेगा और परिणामस्वरूप उसे यहां वस्तुएं मंहगी बेचनी पड़ेगी।

अतः बिक्रीकर अधिनियम की धारा ६ में यह प्रावधान किया गया है कि बिक्रीकर से प्रभावित होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना पंजियन कराये व्यापार नहीं कर सकेगा और इसका उल्लंघन करने पर उसे पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त ५० रु० जुर्माना भी देना होगा।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है किसी भी आयातक, उत्पादक या अन्य व्यापारी की गत वर्ष, अर्थात् चालू वर्ष के लिए १ अप्रैल, १९५४ से ३१ मार्च, १९५५ तक, की विक्रय राशि यदि क्रमशः ५,०००, १०,००० और १२,००० रु० से अधिक है तो वह बिक्रीकर अधिनियम से प्रभावित होगा और उसे पंजियन कराना आवश्यक है चाहे चालू वर्ष में उसका व्यापार इससे कम ही क्यों न हो । यदि कोई व्यापारी चालू वर्ष में ही व्यापार शुरु करे तो उसे यह आभास होते ही कि उसका व्यापार कर से प्रभावित होने की सीमा के निकट पहुंच रहा है तुरन्त अपना पंजियन करा लेना चाहिये । यहां यह बता देना भी उपयुक्त होगा कि जो व्यापारी अपना पंजियन नहीं करा लेता उसे उपभोक्ता से बिक्रीकर वसूल करने का भी कोई अधिकार नहीं है । किन्तु आरम्भ में जून, १९५५ तक, जबतक कि व्यापारियों को पंजियन-प्रमाण-पत्र नहीं मिल जाते उन्हें अपने ग्राहकों से बिक्रीकर वसूल करने की छूट दे दी गई है ।

पंजियन कराने की पद्धति

बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारियों के पंजियन कराने की पद्धति बड़ी सरल व साधारण है । लगभग प्रत्येक जिले में आबकारी व कर विभाग के सहायक कमिश्नर विद्यमान हैं जो अब तक कस्टम व आबकारी विभाग के सहायक कमिश्नर के नाम से जाने जाते थे । डिविजनल मुख्यालयों पर तो एक से अधिक (जयपुर में ३, उदयपुर में ३ और जोधपुर

कोटा और बीकानेर मे दो दो) ऐसे विक्रयकर पदाधिकारी हैं जिनसे प्रार्थनापत्र के फार्म व शुल्क के रुपये जमा कराने के लिये चालान प्राप्त किये जा सकते हैं । पंजियन शुल्क ६ रु० निर्धारित किया गया है । पंजियन प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष नवीनीकृत कराना होगा जिसका शुल्क २ रु० होगा । व्यापारियों को छपे हुए फार्म भर कर सम्बन्धित राज्यकोष (ट्रेजरी) में देने होंगे, जहां आवश्यक खानापूरी के बाद वापस व्यापारी को बैंक मे रुपया जमा कराने के लिए दे दिये जायेंगे । तहसीलों में जहां बैंक की सुविधाएं नहीं है रुपया जमा कराने का काम उप-राज्यकोष (सब ट्रेजरीज) में किया जा सकेगा । बैंक से अथवा रुपया जमा करने वाली सब ट्रेजरी से व्यापारी को चालान की दो फड़दें मिलेंगी जिनमें से एक व्यापारी रसीद के रूप में अपने पास रखेगा और दूसरी अपने प्रार्थनापत्र के साथ कर अधिकारी को प्रस्तुत करेगा । प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर कर अधिकारी कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् उस व्यापारी को प्रमाण पत्र दे देगा जो एक वर्ष तक के लिए मान्य होगा । अगले वर्ष निर्धारित शुल्क चुका कर उसका नवीनीकरण कराना होगा । यह भी ध्यान देने योग्य है कि बिक्रीकर नियमों के अनुसार एक पंजीयन प्रमाण-पत्र व्यापार के केवल एक स्थान के लिए ही मान्य होगा । उदाहरण के रूप में यदि किसी व्यापारी की तीन दुकानें जयपुर में ही अलग अलग स्थानों में चल रही है जिनमें से एक चाहे उसकी प्रमुख दुकान तथा शेष दो उसकी शाखाएं हों, तो भी उसे तीनों दुकानों के लिए अलग अलग प्रमाणपत्र लेना होगा ।

प्रमाण-पत्र खो जाने अथवा अन्य किन्हीं कारणों स नष्ट हो जाने की दशा में १ रु० शुल्क देकर उसकी प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है ।

एक व्यापारी के नाम जारी किये गये प्रमाण-पत्र का उपयोग दूसरा व्यापारी नहीं कर सकता । यदि किसी व्यापारी ने अपना व्यापार किसी दूसरे को हस्तान्तरित कर दिया है तो व्यापार संभालने वाले को १५ दिन के भीतर ही नवीन प्रमाण-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र दे देना चाहिये ।

प्रत्येक प्रमाणित व्यापारी को अपना प्रमाण-पत्र दुकान व व्यापार के स्थान पर इस प्रकार लगाना चाहिये ताकि वह जनता व बिक्रीकर अधिकारियों को आसानी से दिखाई दे सके ।

बिक्री कर की दरें

कर लगाते हुए किसी भी जनतन्त्रीय प्रशासन का यह उद्देश्य रहता है कि मध्यम तथा निम्न आय वाले वर्गों पर कर का यथासम्भव कम से कम भार पड़े और उन्हें कर की दर अखरने वाली न हो । दूसरे ऐसी वस्तुओं पर कर न लगाया जावे अथवा कम से कम लगाया जावे जो जनसाधारण के सामान्य उपयोग की हों और जीवन की अनिवार्यता बन चुकी हों । राजस्थान सरकार का भी बिक्री कर लगाते समय यही लक्ष्य रहा है । इसीलिए व्यापारी, उपभोक्ता, उद्योगपति, कृषक आदि सभी वर्गों के सामान्य हितों को ध्यान में रखकर कर की दरें निश्चित की गयी है ।

राज्य में बिक्री कर अधिनियम के अधीन केवल वनस्पति घी, पाम आइल, तथा सिगरेट पर १२।। प्रतिशत कर लगाया गया है। इसके अतिरिक्त दो अन्य वस्तुओं पर जो जनसाधारण के सामान्य उपयोग की सीमा से प्रायः बाहर है, ६। प्रतिशत कर की दर रखी गयी है। इन वस्तुओं में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा अम्युनिशन एवं पोटाश, पटाखे और अन्य विस्फोटक पदार्थ सम्मिलित है। शेष उन सभी वस्तुओं पर जो बिक्रीकर अधिनियम अथवा नियमों के अन्तर्गत कर मुक्त घोषित नहीं की गई है दो पैसा रुपया कर लगाया गया है।

करमुक्त वस्तुएं

कृषि पदार्थों पर कर लगाते समय राजस्थान सरकार का विशेष रूप से यह ध्यान रहा है कि जो वस्तुएं राज्य में अधिकतया पैदा होती हैं और जिन पर हमारी कृषि अर्थव्यवस्था और किसान की आर्थिक बहबूदी निर्भर है उन्हें कर से मुक्त रखा जाय। कपास और तिलहन, जो राजस्थान की मुख्य उपज हैं, केवल १० रु० वार्षिक शुल्क देकर कर मुक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर, कर मुक्त रखे गये है। इसका परिणाम यह होगा कि अब अधिक मात्रा में इनका निर्यात हो सकेगा और इस प्रकार किसान को अधिक पैसा मिलने लगेगा।

इसी प्रकार राजस्थान की प्रसिद्ध मंडियों में होने वाले व्यापार पर कर का बुरा प्रभाव न पड़े इस उद्देश्य से सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि जीरा, धनिया, दाना मेथी,

चिकनी सुपारी, गौंद और कथीला एवं खसखस पर बिक्री कर अन्तिम बिन्दु पर देना होगा । इसका तात्पर्य यह है कि इन वस्तुओं का राजस्थान मे खुला व्यापार होता रहेगा और आसानी से इनका निर्यात किया जा सकेगा । स्मरण रहे पहले इन वस्तुओं पर निर्यात कर लिया जाता था ।

राजस्थान ऊन उत्पादन का प्रमुख केन्द्र है और भारत की कुल ऊन का लगभग पांचवां भाग राजस्थान में उत्पन्न होता है । राज्य में भेड़ पालन व ऊन उत्पादन एक प्रमुख ग्रामीण धन्धा है और काफी बड़ी संख्या में लोगों की जीविका इस पर निर्भर है । अतएव राज्य सरकार ने तिल्हन और कपास की तरह कच्ची ऊन तथा कच्चे चमड़े और खालों को भी कर से मुक्त रखा है ।

उपभोक्ताओं को राहत

राजस्थान के उपभोक्ताओं को तो नये बिक्री कर क लागू होने तथा कस्टम ड्यूटी के हट जाने से कोई ३ करोड़ रुपये की सीधी राहत पहुंची है । राज्य में कस्टम्स से होने वाली आय लगभग ४ करोड़ रुपये थी और बिक्री कर से होने वाली आय जो आरम्भ में १ करोड़ रुपये आंकी गई थी, हाल ही में दी गई रियायतों के परिणामस्वरूप घटकर और भी कम हो गई है । इस प्रकार स्पष्ट है कि जनता को बिक्री कर से राहत पहुंचेगी और वस्तुओं के दाम पहले की अपेक्षा नीचे गिरेंगे । दूसरे, राजस्थान में बिक्री कर प्रथम बिन्दु पर लगाया गया है अतः उपभोक्ता को प्रत्येक वस्तु खरीदते समय अलग से कर देने की झंझट से मुक्ति मिलेगी ।

राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिये बहुत संभावनाएं है और राज्य सरकार इस आवश्यकता के प्रति पूर्ण रूप से सजग है। उद्योगों की स्थापना तथा उनके संचालन में बिक्रीकर का कुप्रभाव न पड़े इस दृष्टि से राज्य सरकार ने लगभग ३३ छोटे बड़े उद्योगों में प्रयोग में आने वाले कच्चे माल को बिक्री कर से मुक्त कर दिया है। इन उद्योगों में दरी, नमदा और गलीचा बनाने के कारखाने, इस्पात, होजरी, कपड़े व शक्कर की मिलें, गोटा, ऊन, सीमेन्ट, बीड़ी, काच आदि के कारखाने तथा इसी प्रकार के अन्य उद्योग सम्मिलित है। इन उद्योगों के काम में आने वाला कच्चा माल ही कर मुक्त नहीं रखा गया है बल्कि कतिपय उद्योगों में शक्ति उत्पादक पदार्थ डिजल आइल, कोक इत्यादि, पेकिंग का सामान तथा इसी प्रकार के अन्य पदार्थों को भी कच्चे माल के अनुसार कर मुक्त रखा गया है।

इसी प्रकार कुटीर उद्योग एवं शिल्प उद्योग को भी पर्याप्त राहत पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है। हाथ करघा उद्योग, लोहे के औजार व उपकरण बनाने, पीतल के बर्तनों पर खुदाई करने, कपड़े की रंगाई व छपाई आदि १८ कुटीर उद्योगों के काम में आने वाले पदार्थ भी ऊपर वर्णित दशाओं में कर मुक्त रखे गये है। इसी प्रकार मिश्री बताशा और बूरे को भी बिक्री कर से मुक्त कर दिया गया है।

जैसा संक्षेप में बताया जा चुका है इन वस्तुओं पर कर से मुक्ति इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर ही सम्भव होगी जो १० रु० वार्षिक शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकेगा।

साथ ही निर्माता को लिखित में इस आशय की घोषणा विक्रेता को देनी होगी कि उक्त सामान उपयोगार्थ तैयार माल के निर्माण में प्रयुक्त किया जावेगा। इस संबंध में कर मुक्ति प्रमाण पत्र केवल उन्हीं निर्माताओं को मिल सकेगा जिन्होंने इस अधिनियम के अधीन मान्य पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया होगा। इस प्रकार कर मुक्ति प्रमाण-पत्र तथा घोषणा, पंजीयन शुदा विक्रेता को बताने पर निर्माता को उसके उद्योग से संबंन्धित माल बिना कर दिये मिल सकेगा।

यद्यपि उक्त उद्योगों में अल्प व मध्यम आय वाले वर्गो की सभी आवश्यक सामग्रियों का समावेश हो गया है जो कर मुक्त रखे गये है तथापि राज्य सरकार ने लगभग २० अन्य वस्तुओं को भी केवल १० रु० प्रति वर्ष शुल्क देकर व्यवसायी द्वारा मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने पर कर मुक्त कर दिया है। इन वस्तुओं में विद्युत शक्ति, हाथ से बना कागज, हाथ करघे से बना कपड़ा, एलोपेथिक व होमयोपेथिक दवाइयां, आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सा पद्धति की निर्मित औषधियां, सूत, देसी जूते, लाख की व सेलोलाइट की चूडियां, लकड़ी, मिट्टी तथा कागज के खिलौने, पत्थर की मूर्तियां, हा । से बने धातु के बर्तन असली सोने व चांदी के गहने और स्थानीय निर्मित सोने चांदी का गोटा व सलमा सितारा तथा बादला सम्मिलित है।

करमुक्ति प्रमाण-पत्र

जैसा कि ऊपर बताया गया है कतिपय वस्तुओं के व्यापार पर करमुक्ति प्रमाण-पत्र लेने पर इन वस्तुओं को बिक्रीकर से मुक्त कर दिया जाता है। इसी प्रकार कतिपय व्यापारियों के वर्गों को भी निर्धारित शुल्क देकर इस प्रकार के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर कर से मुक्त करने का प्रावधान है। कच्चे व पक्के आढ़तिया इसी श्रेणी में आते हैं।

कमीशन एजेन्ट या आढ़तिया, जो सामान के मालिक व्यापारी की ओर से तय किये हुए कमीशन पर सामान की बिक्री करता है और उसकी बिक्री का पूरा पूरा हिसाब रखता है, विक्रय राशि के आधार पर निम्न दर से निर्धारित शुल्क देकर मुक्ति का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है।

	शुल्क
विक्रय राशि यदि १२,००० रु० से अधिक लेकिन २०,००० रु० से अधिक नहीं है।	५ रु०
यदि विक्रय राशि २०,००० से अधिक लेकिन ५०,००० रु० से अधिक नहीं है।	२५ रु०
यदि विक्रय राशि ५०,००० रु० से अधिक किन्तु १,००,००० रु० से अधिक नहीं है।	५० रु०
यदि विक्रय राशि १ लाख रुपये से अधिक है तो १ लाख रुपये से ऊपर के प्रत्येक २५,००० रु० या इसके अंश की विक्रय राशि के लिए।	२५ रु०

किन्तु किसी भी दशा में यह शुल्क ५०० रु० स अधिक नहीं होगा ।

यह उल्लेखनीय है कि उक्त विक्रय राशि से तात्पर्य व्यापारियों की ओर से आढ़तिया द्वारा की गयी बिक्री की रकम से है । आढ़तिया के लिये यह भी आवश्यक है कि वह आढ़त लेकर बेचे गये सामान की बिक्री का पूरा हिसाब रखे तथा किसके यहां से कितना सामान आया और किसको कितना वह बेचा गया इसका पूर्ण विवरण रखे । यदि वह इस प्रकार समुचित ढंग से हिसाब नहीं रखता तो उस बिक्री को उसकी स्वयं की मानी जायगी और उसे साधारण व्यापारी समझा जाकर सामान्य दरों के अनुसार बिक्रीकर वसूल किया जायेगा । इसके अतिरिक्त यदि आढ़तिया तय शुदा आढत तथा सामान्य खर्चे से अधिक लेकर सामान बेचता है तो भी उसे साधारण व्यापारी के अनुसार ही कर देना होगा क्योंकि ऐसी अवस्था में यह माना जाता है कि उसने वह सौदा अपना अतिरिक्त लाभ कमाने की इच्छा से किया था । एक दूसरी शर्त यह भी है कि आढ़तिया द्वारा बेचे गये सामान का उल्लेख प्रमुख व्यापारी के बही खाते में भी होना अनिवार्य है जिससे आढ़तिया द्वारा बेचे गये माल पर सम्बन्धित प्रमुख व्यापारी से बिक्रीकर वसूल किया जा सके ।

उपरोक्त प्रावधान केवल आढ़तियों के लिये ही है दलालों के लिए नहीं । आढ़तियों और दलालों में प्रमुख भेद यह है कि आढ़तिये अपनी स्वेच्छा से सामान को किसी ग्राहक

को अपने उत्तरदायित्व पर किसी भी भाव बेच सकता है, एक प्रकार से वह सामान का मालिक ही माना जाता है जब कि दलाल बेचने वाले और ग्राहक को आमने सामने लाकर खड़ा कर देता है और सौदा हो जाने पर अपनी दलाली लेता है। वह किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व से मुक्त रहता है, और दलाली के सोदों के लिए वह बिक्रीकर अधि-नियम के अन्तर्गत व्यापारी नहीं समझा जाता। आढ़तियों में कच्चे व पक्के दोनों प्रकार के आढतिये सम्मिलित हैं।

आढ़तियों को भी सामान्य व्यापारियों की भांति ६ रु० शुल्क देकर पंजीयन कराना आवश्यक होगा और अपने व्यापार का त्रैमासिक विवरण विक्रयकर अधिकारी को देना होगा।

आढ़तियों के कर मुक्त प्रमाण-पत्र के शुल्क की राशि निश्चित करने के लिए गतवर्ष अर्थात चालू वर्ष के लिए १ अप्रेल १६५४ से ३१ मार्च १६५५ के बीच हुए आढ़त के व्यापार की राशि को आधार माना जायेगा। यदि चालू वर्ष में इससे कम व्यापार हुआ हो तो वर्ष के अन्त में उस शुल्क को यथावत कर दिया जायेगा और शेष रकम अगले शुल्क में जमा करली जायेगी

होटलों व अल्पाहारगृहों के मालिक

होटलों व अल्पाहारगृहों (रेस्टोरेन्टों) के मालिकों को भी कर मुक्ति का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने पर बिक्रीकर से छूट दी गई है। यह प्रमाणपत्र विक्रय राशि पर निम्नानुसार शुल्क देने पर प्राप्त किया जा सकता है।

यदि विक्रय राशि १२,००० रु० से अधिक है लेकिन २०,००० रु० से अधिक नहीं है।	२५ रु०
यदि विक्रय राशि २०,००० रु० से अधिक, किन्तु ५०,००० रु० से अधिक नहीं है।	५० रु०
यदि विक्रय राशि ५०,००० रु० से अधिक है	१०० रु०

देय शुल्क की राशि निर्धारित करने का आधार गत वर्ष की विक्रय राशि होगी। होटल मालिकों व अल्पाहारगृहों के संचालकों को यथाशीघ्र करमुक्ति प्रमाण-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र दे देना चाहिये अन्यथा बिक्री कर की सामान्य दर के अनुसार उनसे भी कर वसूल किया जायेगा।

सोने चांदी व जवाहरात के व्यापारी

व्यापारियों का तीसरा वर्ग जो कर मुक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने पर कर से मुक्त रखा गया है चांदी सोने की वस्तुएं एवं जवाहरात व असली व नकली मोतियों के व्यापारियों का है। इन्हें भी निम्न निर्धारित शुल्क चुकाने पर कर मुक्ति का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

यदि विक्रय राशि १२,००० रु० से अधिक है किन्तु २५,००० रु० से अधिक नहीं है।	५० रु०
यदि विक्रय राशि २५,००० से अधिक किन्तु ५०,००० रु० से अधिक नहीं है।	१०० रु०
यदि विक्रय राशि ५०,००० रु० से अधिक किन्तु १ लाख रुपये से अधिक नहीं है	२०० रु०

यदि विक्रय राशि १ लाख रु० से अधिक किन्तु २ लाख रु० से अधिक नहीं है । ३५० रु०

यदि विक्रय राशि २ लाख से अधिक है ५०० रु०

इसके अतिरिक्त असली सोने चांदी से बने गहनों को व्यापारी द्वारा केवल १० रु० वार्षिक शुल्क देकर कर मुक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर ही, कर मुक्त किया गया है । यदि कोई व्यापारी का मुक्ति का प्रमाणपत्र नहीं होगा तो उसे यह छूट नहीं दी जायेगी, खालिस सोना या चांदी, (बुलियन) पर आठ आना सैकड़ा की दर से बिक्री कर लिया जायेगा ।

इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के लिये अलग २ कर मुक्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा ।

व्यापार का विवरण

जैसा कि पहले बताया जा चुका है प्रत्येक रजिस्टर्ड व्यापारी को अपने व्यापार का त्रैमासिक विवरण-पत्र अपने क्षेत्र के बिक्रीकर अधिकारी को नियमित रूप से सम्बन्धित तिमाही के समाप्त होने के २८ दिन के भीतर देना होगा जिससे उसके व्यापार का पता लगा कर उसके द्वारा देय कर निर्धारित किया जा सके। वैसे तो राज्य के वित्तीय वर्ष के अनुसार ही बिक्री कर की सारी व्यवस्था १ अप्रेल से ३१ मार्च तक के वर्ष के लिये की गई है किन्तु व्यापारियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें यह छूट दी गई है कि यदि वे चाहें तो उपरोक्त विवरण-पत्र राज्य के वित्तीय वर्ष के अनुसार न पेश कर जो भी उनका व्यापारिक वर्ष हो अर्थात् जिसके अनुसार वे अपने बही खाते आदि रखते हों और नफा नुक्सान खाता बनाते हों उसके अनुसार अपने विवरण पत्र प्रस्तुत करें। कतिपय व्यापारी दीपावली से अपने हिसाब किताब रखते है और कुछ १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक कलेन्डर वर्ष के अनुसार अपने व्यापार का लेखा जोखा रखते हैं। ऐसे व्यापारियों को इसी क्रम से प्रत्येक त्रिमास में अपने व्यापार का विवरण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। व्यापारियों को वर्ष के आरम्भ में ही इसका निश्चय कर लेना चाहिये कि उन्हें किस प्रकार के वर्ष के अनुसार अपना हिसाब किताब रखना है तथा विवरण-पत्र प्रस्तुत करने है। एक बार ऐसा निश्चय कर लेने पर फिर सदा उसी प्रकार के वर्ष के अनुसार लेखा जोखा रखना होगा और विवरण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इस क्रम में यदि कोई परिवर्तन करना

ऐ तो वह बिना सम्बन्धित बिक्रीकर अधिकारी की अनुज्ञा के नहीं किया जा सकेगा। व्यापारी जिस प्रकार का व्यापारिक वर्ष चुनेंगे उसी प्रकार के गत व्यापारिक वर्ष के व्यापार के आधार पर उनके द्वारा देय कर की राशि निर्धारित की जायेगी।

वित्तीय वर्ष के अनुसार अर्थात् अप्रेल से मार्च तक का हिसाब किताब रखने वाले व्यापारियों को ये विवरण-पत्र, जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च के अन्तिम दिन को समाप्त होने वाली प्रत्येक तिमाही के लिए सम्बन्धित तिमाही के समाप्त होने के पश्चात् २८ दिन के भीतर भीतर प्रस्तुत करने होंगे। इसके अनुसार चालू वर्ष के लिए प्रथम विवरण-पत्र जुलाई १९५५ में दूसरा अक्तूबर १९५५ में तीसरा जनवरी १९५६ में तथा चौथा अप्रेल १९५६ में प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार दीपावली वर्ष के अनुसार हिसाब रखने वाले व्यापारियों को उसी क्रम से प्रत्येक तीन महीने बाद अपने व्यापार का विवरण-पत्र देना होगा। जो व्यापारी वित्तीय वर्ष के अनुसार अपने हिसाब न रखकर किसी अन्य वर्ष को अपना हिसाबी वर्ष चुनेंगे अर्थात् जिनका व्यापार वर्ष ३१ मार्च को समाप्त न होकर किसी अन्य दिन समाप्त होता है उनके लिये यह अनिवार्य है कि वे प्रथम कर निर्धारण वर्ष १९५५-५६ में उपरोक्त ४ विवरण-पत्रों के अतिरिक्त १ अप्रेल, १९५५ से उनके व्यापारिक वर्ष के आरम्भ तक के समय का एक विशेष विवरण-पत्र प्रस्तुत करें। इस विवरण-पत्र के उपरान्त यथा समय वे अपने व्यापार के त्रैमासिक विवरण पत्र नियमित रूप से ऊपर बताये गये तरीके के अनुसार प्रस्तुत करते रहेंगे।

बिक्री कर के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किये गये विवरण-पत्र व्यापारी द्वारा खूब देखभाल कर निर्धारित फार्म में तैयार किये जाने चाहिये और उन पर व्यापारी के ही हस्ताक्षर होने चाहिये। व्यापारी के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि वह अपने विवरण-पत्र में दी गई कर योग्य विक्रय राशि पर देय कर की गणना करके यह रकम निर्दिष्ट चालान फार्म द्वारा जमा कराकर इसकी रसीद अपने त्रैमासिक विवरण-पत्र के साथ संलग्न करें अन्यथा इसके अभाव मे विवरण स्वीकृत नहीं किया जावेगा। यदि किसी व्यापारी को विवरण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद कोई भूल मालूम हुई हो तो वह यथा शीघ्र विक्रय कर पदाधिकारी द्वारा कर निर्धारण करने से पहले दूसरा संशोधित विवरण-पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

कर निर्धारण की प्रक्रिया

वर्ष के चारों विवरण-पत्र प्राप्त होने पर अथवा अन्तिम विवरण-पत्र प्राप्त होने की निर्धारित तिथि के बाद वर्ष के अन्त में व्यापारी के व्यापार व बिक्री की सही स्थिति की जांच की जायेगी और फिर उस पर कर निर्धारण किया जायेगा। यदि किसी त्रिमास का विवरण-पत्र बिक्रीकर अधिकारी को प्राप्त नहीं होता है तो अधिकारी उस त्रिमास की बिक्री का न्याय संगत अनुमान लगा लेगा और उस पर बिक्रीकर वसूल किया जावेगा। इस प्रकार निर्धारित की गई कर की राशि बदली नहीं जा सकेगी यदि आवश्यक हुआ तो बिक्रीकर अधिकारी व्यापार के आंकडों की जांच के लिए व्यापारी के बही खाते भी मंगाकर देख

सकेगा । व्यापारी द्वारा देय कर की राशि निर्धारित करने पर उसमें से प्रत्येक त्रैमासिक विवरण-पत्र के साथ जमा करायी गयी कर राशि को घटा दिया जावेगा और शेष रकम जमा कराने का आदेश व्यापारी को दे दिया जावेगा । यदि उसने वर्ष के दौरान में अधिक पैसा जमा करा दिया होगा तो बेशी रकम वापस कर दी जावेगी ।

व्यापारी उक्त आदेश के अनुसार रकम राज्य कोष में जमा करा सकेगा । यदि निर्धारित समय के भीतर यह रकम जमा नहीं करायी गयी तो बिक्रीकर अधिकारी कर की बकाया रकम से आधी रकम तक दंड स्वरूप वसूल कर सकेगा । इसकी अवज्ञा करने पर न्यायालय द्वारा ६ महीने की कैद व १००० रु० जुर्माना अथवा दोनों सजाएं दी जा सकती है ।

त्रैमासिक विवरणों को नियमित रूप से प्रस्तुत न किया जाना अथवा जानबूझकर गलत प्रस्तुत करना भी दंडनीय अपराध है और इस पर व्यापारी को जुर्माना व कैद दोनों सजाएं दी जा सकती हैं ।

यदि किसी व्यापारी का किसी त्रिमास में व्यापार नहीं हुआ हो तो भी उसे नकारात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त राजस्थान के बाहर से सामान आयात करने वाले व्यापारियों को भी निर्धारित फार्म पर आयात

किये गये माल का पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा । यह विवरण जिस तिमाही मे सामान आयात किया गया हो उसके व्यतीत होने के बाद १५ दिन के भीतर प्रस्तुत कर देना चाहिये ।

अधिक कर वसूली दंडनीय अपराध

राजस्थान बिक्रीकर अधिनियम के अनुसार जो व्यापारी उपभोक्ता से कर वसूल करने का अधिकारी नहीं है अथवा दूसरे शब्दों में जो सरकार को कर नहीं देता वह यदि ग्राहकों से कर वसूल करता पाया गया तो दंडनीय अपराधी माना जायेगा और उसे ६ महिनें का कारावास तथा १००० रु० जुर्माना अथवा दोनों सजा मिल सकेंगी । इसी प्रकार निर्धारित दर से अधिक कर लेना भी दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है । अतएव व्यापारियों को सामान बेचते समय कैश मीमो या क्रेडिट मीमो में सामान का मूल्य तथा वसूल किये गये कर की रकम अलग २ लिखनी चाहिये ।

दूसरे उक्त अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को कर जमा कराने के लिए व्यापारी उत्तरदायी है अतः सरकार व्यापारियों द्वारा की गयी बिक्री पर अवश्य कर वसूल करेगी । चाहे उन्होंने अपने ग्राहकों से कर लिया या नहीं । व्यापारिक प्रतियोगिता तथा सामान को सस्ता बेचने के कारण यदि किसी व्यापारी ने ग्राहकों से कर वसूल नहीं किया है तो इसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी है ।

आशा यही की जाती है कि हिसाब की बहियों में जो भी आंकडे व्यवसाय के दौरान में दर्ज किये जाते हैं वह सही है और किसी विक्रय राशि को छुपाया नहीं गया है किन्तु बिक्री कर अधिकारी को संदेह हो कि किसी बिक्री को छिपाने या उसको कम दिखाने के उद्देश्य से झूठे हिसाब तैयार करने के प्रयत्न किये गये हैं तो उसको सही साबित करने का भार व्यापारी पर होगा और बिक्रीकर अधिकारी को न्यायतः अधिकार है कि वह हिसाब की बहियों की प्रकार व उसमे दर्ज किये गये आंकडों को पूरी छानबीन व जांच करे और उनकी सच्चाई का परीक्षण दूसरी बाहर की साक्षियों द्वारा करे। साधारणतया, सच्चे व ईमानदार व्यापारियों के हिसाब बिना किसी हील हवाले के स्वीकार कर लिये जावेंगे। किन्तु अपने व्यापार के विकास बिन्दु को छिपा कर अपनी विक्रय राशि को छिपाने वाले व्यापारी की असत्यता को नर्मी दिखा कर प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। इस बात को सभी मुक्तकंठ से स्वीकार करेंगे कि कर निर्धारण (एसेसमेन्ट) को पूरा करने के सम्बन्ध में हिसाब की बहियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और प्रत्येक व्यापारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ईमानदारी से सच्चा हिसाब रखे ताकि न तो सरकार की आय को हानि हो और न उसको असुविधाजनक बरताव का सामना करना पड़े। साधारणतः बिक्रीकर विभाग किसी निश्चित प्रकार का हिसाब रखने के लिये व्यापारी को बाध्य नहीं करेगा। व्यापारी अपनी सुविधा के अनुसार हिसाब रखने के लिये स्वतन्त्र है बशर्ते कि उसकी इस तरह की हिसाब प्रणाली से उसकी विक्रय राशि का सही व सच्चा ब्योरा

मालूम हो सके श्रौर उसके द्वारा उसने श्रपनी विक्रय राशि को छिपाने या उसको कम दिखाने का प्रयत्न नहीं किया है ।

बही खाते व हिसाब रखने की विधि

व्यापार का सही विवरण प्रस्तुत करने व श्रावश्यकता होने पर प्रस्तुत विवरण पत्रों की जांच कराने के लिए बही खाते दिखाने की श्रावश्यकता प्रत्येक व्यापारी को होगी । वैसे भी श्रपने व्यापार की स्थिति हानि लाभ का व्योरा श्रौर लेनदेन की विगत जानने के लिये प्रत्येक व्यापारी श्रपने व्यापार का लेखा जोखा रखता ही है । किन्तु बिक्री कर चुकाने, व्यापार के त्रैमासिक विवरण पत्र प्रस्तुत करने श्रौर विक्रय कर श्रौर पदाधिकारी के पास उनको सही साबित करने के लिये बही खाते इस प्रकार रखे जाने चाहिये जिनसे स्पष्ट ही पता लग सके कि वर्ष में कुल कितना माल किस कीमत का खरीदा गया श्रौर किससे खरीदा गया तथा किस किस व्यापारी को कितनी कीमत का कितना माल बेचा गया श्रौर कितना माल कितनी कीमत का वर्ष के श्रन्त में स्टाक में रहा । इसके श्रतिरिक्त उसे कर न चुकाने योग्य वस्तुश्रों का श्रलग से लेखा जोखा रखना चाहिये श्रन्यथा ऐसा सम्भव है कि उन वस्तुश्रों की बिक्री पर भी उसे श्रपने बही खाते ढंग से रखने में बरती गई श्रसावधानी के कारण कर देना पडे । साथ ही सामान्य कर की दरों से श्रधिक कर लगने वाली वस्तुश्रों का भी श्रलग से हिसाब रखना चाहिये । निर्माता को भी श्रपने उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की खरीद तथा तैयार माल की बिक्री श्रादि का विगत वार विवरण रखना

चाहिये। इसी प्रकार विभिन्न स्तरों एवं बिन्दुओं पर कर लगने वाली वस्तुओं का लेखा जोखा भी उन्हें अलग से रखना होगा ताकि कर निर्धारण के समय पूरी तौर से जांच की जा सके कि अमुक वस्तु पर कर अमुक बिन्दु पर लगेगा और वह अमुक व्यापारी से वसूल किया जाना चाहिये।

बिक्री कर नियम ४४ के अनुसार प्रत्येक बिक्री के समय व्यापारी को कैश मीमों या क्रेडिट मीमों अवश्य काटना चाहिये जिसमे वस्तु का मूल्य और वसूल किये गये बिक्रीकर की राशि अलग २ उल्लिखित होनी चाहिये। इससे व्यापारियों को अपने हिसाब किताब रखने में बडी सुविधा होगी तथा बाद में होने वाले अनावश्यक झंझटों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। किन्तु देहात में दुकान लगाने वाले छोटे व्यापारी एवं आनों व पैसों की फुटकर वस्तुओं के विक्रेता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह रोकड़ रसीदें जारी करे। ऐसी दशा में उनकी क्रय विक्रय की बहियों से उनके हिसाब की जांच की जा सकेगी।

अपील

राज्यबिक्री कर अधिनियम के अधीन व्यापारियों को निम्न तीन आदेशों के विरुद्ध अपील करने के अधिकार दिये गये है :–

१ कर निर्धारण के आदेश

२ धन वापसी (रिफन्ड) के आदेश

३ दंड (पेनाल्टी) के आदेश

उक्त आदेशों के खिलाफ अपील करने की अवधि आदेश प्राप्ति के बाद ६० दिन रखी गयी है जिसके अन्तर्गत निर्धारित फार्म पर निश्चित प्रक्रिया के अनुसार अपीलेट प्राधिकारी को अपील पेश कर देनी चाहिये। उक्त तीन आदेशों के अतिरिक्त अन्य किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील नहीं सुनी जायेगी।

अपील के लिए कोई फीस नहीं है। राज्य के प्रत्येक डिवीजनल हैडक्वार्टर में डिप्टी कमिश्नर एक्साइज व टेक्जेशन नियुक्त है वे ही अपने हल्कों के लिए बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

अपीलें व्यापारी अथवा उसके वकील या एजेन्ट द्वारा अपील अधिकारी को स्वयं उपस्थित होकर पेश की जा सकती है या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भी भेजी जा सकती है।

कर योग्य बिक्री एवं उसकी सीमा

बिक्री कर अधिनियम के अधीन एक निर्धारित समय में होनेवाली बिक्री पर व्यापारी को कर देना पडता है। बिक्री की राशि से यहां तात्पर्य वस्तु के विक्रय मूल्य से है जिसमें व्यापारी का मुनाफा व सामान के पैकिंग, तुलाई आदि सभी प्रकार का खर्चा सम्मिलित है। वर्ष की निर्धारित अवधि में उक्त रूप से प्राप्त रुपये पर व्यापारी को कर देना होगा।

आयातक, निर्माता तथा अन्य व्यापारियों के विभिन्न वर्गों के अनुसार बिक्रीकर के योग्य कम से कम राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है। तीनों वर्गों के उक्त व्यापारियों की वार्षिक बिक्री उनके लिये निर्धारित सीमा से कम होने पर वे कर से मुक्त रहेंगे।

आयातक	५,००० रु० वार्षिक।
निर्माता	१०,००० रु० वार्षिक।
अन्य व्यापारी	१२,००० रु० वार्षिक।

इस सीमा की राशि में कर योग्य तथा बिना कर वाली सभी बिक्री सम्मिलित है। हां, बिना कर योग्य बिक्री पर कर नहीं लिया जायेगा किन्तु बिक्री की सीमा निर्धारित करते समय उसे भी अवश्य बिक्री में शामिल किया जायेगा निम्न उदाहरण से यह और भी स्पष्ट हो जायेगा। मान लिजिये एक व्यापारी १००० रु० के गेहूं, ५००० रु० के तिलहन, ७००० रु० का कपड़ा और ६००० रु० की दालें बेचता है। इस प्रकार उसकी कुल बिक्री १९००० रु० की हुई जो उक्त निर्धारित सीमा से अधिक है किन्तु कर उसे केवल ७००० रू० की बिक्री पर ही देना होगा क्योंकि केवल कपड़ा ही कर देने योग्य वस्तु है। तिलहन की बिक्री कर मुक्ति प्रमाण पत्र ले लेने पर बिक्री कर से मुक्त है। यदि यह व्यापारी तिलहन के लिये कर मुक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेता है तब तो उसे केवल ७००० रू० कपड़े की बिक्री पर ही कर देना होगा किन्तु यदि वह तिलहन के विषय में ऐसा प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर लेता तो उसे ५००० रू० की तिलहन की बिक्री पर भी कर देना होगा।

निम्न प्रकार की बिक्री पर कर वसूल नहीं किया जायेगा।

(क) जो बिक्री व्यापार या व्यवसाय की दृष्टि से न की गई हो।

(ख) अचल सम्पति की बिक्री।

(ग) शेयर, स्टाक व सिक्यूरिटियों की बिक्री।

(घ) कृषक द्वारा उत्पन्न की गई कृषि पैदावार की बिक्री।

(ङ) उस व्यापारी द्वारा की गयी बिक्री जिसका वार्षिक व्यापार निर्धारित कर योग्य सीमा से कम हो।

राजस्थान बिक्रीकर अधिनियम के अधीन संक्षेप में बिक्री शब्द की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है।

विक्रय:—रुपये पैसे या अधिक लाभ के लिए व्यापार व्यवसाय की दृष्टिसे सामान का हस्तान्तरण यद्यपि मोटे रूपसे सामान बिक्री अधिनियम (सेलस् आफ गुड्ज एक्ट) के अधीन विक्रय शब्द की परिभाषा से ही बिक्री का तात्पर्य लिया जाताहै किन्तु राजस्थान बिक्रीकर अधिनियम में बिक्री शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ लगाया गया है इसके अनुसार किसी ठेके को क्रियान्वित करने में लगाया गया माल भी बिक्री में ही सम्मिलित है, दूसरे किराया, क्रय प्रणाली अथवा किश्तों में भुगतान करने की प्रथा से खरीदा गया माल भी बिक्री में ही शुमार किया जाता है। अतएव ठेकेदार भी बिक्रीकर से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते।

ठेकों को क्रियान्वित करने में माल के अतिरिक्त श्रम का भी योग रहता है। अतः राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अधीन ठेकेदारों को किये गये काम के लिये मिली धन राशि में से श्रम के लिये कुछ प्रतिशत कमी करके बाकी पर बिक्री कर लगाया जावेगा। ठेकों की विभिन्न कार्यप्रणाली तथा परिस्थितियों को देखते हुए श्रम के सम्बन्ध मे छूट की अलग अलग प्रतिशत नियमानुसार निर्धारित कर दी गई है।

(क) बिजली के ठेकों के सम्बन्ध मे २५ प्रतिशत।

(ख) सडकों के निर्माण, पुनर्निर्माण या मरम्मत के ठेकों के सम्बन्ध मे ५० प्रतिशत।

(ग) मोटरों के मरम्मत आदि के ठेकों के संबंध मे ६० प्रतिशत।

(घ) मिट्टी के कामों के ठेकों की दशा में ८० प्रतिशत।

(ङ) चट्टानों को बारूद से उडाने के ठेकों के सम्बन्ध में ५० प्रतिशत।

(च) नहरों आदि के निर्माण में चूने पत्थर आदि के ठेकों के सम्बन्ध में ५० प्रतिशत।

(छ) अन्य प्रकार के निर्माण आदि के ठेकों के सम्बन्ध में ३३ प्रतिशत।

यद्यपि कागज व पुस्तकों की छपाई तथा कपडों की रंगाई बिक्री शब्द की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है किन्तु किसी

मुद्रक ने छपाई में अपनी ओर से कागज लगाकर उसका मूल्य वसूल किया है तो वह बिक्री मानी जायेगी उस पर बिक्रीकर लगाया जावेगा। इसी प्रकार कपड़े की सिर्फ रंगाई और छपाई पर कोई कर नहीं लिया जायेगा किन्तु यदि रंगरेज या छापने वाला अपनी ओर से कपड़े को छाप कर बेचता है तो स्वभावतः उस पर कर वसूल किया जायेगा।

कस्टम चुकाये हुए माल पर छूट

व्यापारिक क्षेत्रों में इस विषय में काफी भ्रान्त धारणाएं फैली हुई है कि १ अप्रेल, १९५५ से पूर्व आयात किये गये जिस सामान पर कस्टम ड्यूटी चुकाई जा चुकी है उस पर भी फिर से बिक्री कर वसूल किया जायेगा और इस प्रकार एक ही वस्तु पर दोहरा कर लग जायेगा। किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। १ अप्रेल, १९५५ को अर्थात राज्य में बिक्री कर लागू होने वाले दिन व्यापारियों के पास जितना माल स्टाक में मौजूद था उस पर वसूल की गयी कस्टम ड्यूटी उन्हें वापिस कर दी जायगी।

बिक्री कर अधिनियम के अनुसार जिस सामान पर पहले कस्टम ड्यूटी चुकाई जा चुकी है वह राशि उन्हें १ अप्रेल, १९५६ के बाद जब १९५५-५६ के लिये देय कर निर्धारित किया जायेगा छूट के रूप में वापिस मिल जायेगी इस प्रकार की छूट की राशि देय कर का २० से ४० प्रतिशत तक हो सकेगी। निम्न उदाहरण से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जायगा।

मान लीजिये किसी व्यापारी की वर्ष की विक्रय राशि कुल २,००,००० रु० हुई और उसके पास १-४-५५ को २०,००० रु० का आयात किया हुआ माल स्टाक में था जिस पर कस्टम ड्यूटी दी जा चुकी है। इस विक्रय की राशि में से मान लीजिये १,५०,००० रु० की बिक्री आयात किये हुए माल की है और बाकी अन्य माल की। इस व्यापारी को दी जाने वाली छूट का धन इस प्रकार निर्धारित किया जावेगा :—

(क)	कुल विक्रय राशि	-	२,००,००० रु०
(ख)	आयात किये हुए माल के संबंध में विक्रय राशि	-	१,५०,००० रु०
(ग)	ख के ऊपर विक्रय कर की दर ६ पाई प्रति रुपये के हिसाब से देय कर	-	४,६८७-८-०

अब यदि उक्त व्यापारी विक्रय पदाधिकारी को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देता है कि उसके पास १-४-५५ को राजस्थान के बाहर से आयात किया हुआ माल जिस पर कस्टम ड्यूटी दी जा चुकी है, स्टाक में था तो उसे आयात किये हुए माल पर देय कर, अर्थात ४,६८७-८-० आने पर २० से ४० प्रतिशत छूट मिल सकेगी। छूट की कम से कम दर २० प्रतिशत के हिसाब से उसे कुल ९३७-८-० छूट मिल सकेगी। उसके पास जैसा पहले कहा जा चुका है पुराना कस्टम ड्यूटी चुकाया हुआ माल २०,००० रु० का था जिस पर उसने ९ पाई प्रति रुपया कस्टम की औसत दर के हिसाब से ९३७ रु० कस्टम

ड्यूटी दी होगी। इस प्रकार स्पष्ट होगया कि १-४-५५ को स्टाक में रहने वाले आयात किये हुए माल के संबंध में उसकी पूर्ण रूप से क्षति पूर्ति हो गई। न उसको इस संबंध में कोई लाभ हुआ और न कोई हानि यदि इस प्रकार माल २०,००० रु० का न होकर इससे कम का, मान लीजिये १५,००० रु० का, होता तो उसको छूट मिलने के संबंध मे २३४ रु० का लाभ होता। इसके विपरीत यदि ऐसा माल २०,००० से अधिक का होता तो उसके द्वारा यह सिद्ध करने पर कि उसके पास १-४-५५ को आयात किया हुआ अधिक माल स्टाक में था छूट की दर ४० प्रतिशत तक बढाई जा सकती है।

जो व्यापारी छूट के लिये एक वर्ष तक प्रतीक्षा न करना चाहें उनके लिये राज्य सरकार ने बिक्री कर नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था की है कि वे अपने प्रथम त्रिमास के व्यापार का विवरण पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अपने क्षेत्र के बिक्री कर अधिकारी को कस्टम की वापसी के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें। ऐसे प्रार्थना-पत्र के साथ निम्न विवरणों का होना आवश्यक है।

(१) १ अप्रेल, १९५५ को मौजूद माल का मूल्य सहित पूरा विवरण।

(२) उक्त माल के आयात पर चुकाई गई कस्टम ड्यूटी का पूर्ण विवरण। प्रार्थना-पत्र के साथ में संबंधित कस्टम रवन्ने भी जिनसे यह ज्ञात हो

सके कि उक्त माल पर इतना कस्टम चुकाया गया है, संलग्न करने चाहिये ।

बिक्रीकर अधिकारी इस प्रार्थना पत्र पर विचार कर छूट की मात्रा निर्धारित करेगा और व्यापारी को निर्णय से अवगत करेगा । ऐसा व्यापारी प्रथम त्रिमास के व्यापार विवरण पत्र के साथ देय कर में से छूट की रकम काट कर शेष जमा कराई हुई रकम का चालान प्रस्तुत करेगा । यदि छूट की रकम त्रिमास की बिक्री पर लगने वाले कर की राशि से अधिक है तो इस तथ्य को विवरण पत्र में अंकित कर देगा और अवशिष्ट रकम अगले त्रिमास में भर ली जायेगी ।

इस प्रकार व्यापारियों को चुकाई हुई कस्टम ड्यटी की वापसी के लिये एक बर्ष की लम्बी अवधि तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी । किन्तु यह सुविधा प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि व्यापारी छूट के लिये पूर्ण विवरण व संबंधित कस्टम रवन्ने सहित प्रार्थना पत्र प्रथम त्रिमास के विवरण देने के बहुत पहले ही प्रस्तुत करदें ताकि उस पर निर्णय लिया जाकर छूट की सुविधा उन्हें मिल सके ।